राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

क्रमांकः एफ।। (499)रा.प्र.नि.मं./स्था./1097-1103 **दिनांकः 24/08/2015**

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर को 21 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) किरायें पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क.स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक (रू में)	बयाना राशि (रू में)	संविदा अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1.	21–कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन)	21,42,000	42840	1 वर्ष	14.09.2015 को सायं 3.00 बजे तक	14.09.2015 को सायं 4.30 बजे तक

निविदा प्रकाशन से दिनांक 14.09.2015 दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित शुल्क 400/– रूपये जमा कराकर निविदा प्रपत्र कमरा (केशियर) से प्राप्त कर सकते हैं। शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। निविदा प्रपत्र एवं बयाना का राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना बयाना राशि के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ।।(499)रा.प्र.नि.मं./स्था./1097-1103 **दिनांकः 24/08/2015**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरि. निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट उपानन पोर्टल पर अपलोड करें।
5. सदस्य (निविदा समिति), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

D:\Etablishment 2014\Office Order\Tendor Notice 2015.doc

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवाएं किराये पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा–

1. निविदादाता / फर्म का नाम व पता: ------------------------------------
(मय दूरभाष / मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल) ------------------------------------
पते (यदि हो) सहित ------------------------------------
----

2. निविदादाता / फर्म का श्रम विभाग ------------------------------------
में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक: ------------------------------------

3. निविदादाता / फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक: ------------------------

4. निविदा प्रपत्र देने का पता: सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

5. संदर्भ – निविदा सूचना ---------- दिनांक----------
जमा कराने की तिथि 14.09.2015 अपरान्ह 03.00 बजे तक
खोलने की तिथि 14.09.2015 अपरान्ह 4.30 बजे

6. निविदा शुल्क का विवरण – राशि रूपये 400/-
नकद रसीद सं0 ---------- दिनांक:--------
डी.डी. न0--------------- दिनांक:--------
बैंकर्स चैक:-------------- दिनांक:--------

7. अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक, बैंक का नाम ---------------------------
जो सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय हों का विवरण
राशि रू. 42840 / –(शब्दों में:– बयालिस हजार आठ सौ चालीस मात्र)
डी.डी. / बैंकर्स चैक सं0 ------------दिनांक------
बैंक का नाम------------------------------

8. निविदा के लिए मासिक प्रस्तावित दर
प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन)* :– (अंको में) – ------------------
(शब्दों में) – ------------------

*नोट:– (i)कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के किराये की राशि रूपये 8500 / – प्रति माह (सभी कर सहित) से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।

(ii)निविदा की प्रस्तावित दर अंको व शब्दों में समान होनी चाहिए। अंको व शब्दों मे अन्तर होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। दर में किसी प्रकार भी कोई काट छांट / ओवर राईटिंग नही होनी चाहिए, यदि काट छांट हो गई हो तो उसे निविदादाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।

9. निविदादाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र —निविदा आवेदन कर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीटयूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करें।

10. मैंने/हमनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमे सभी शर्तें मान्य होने बाबत् शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवाएं किराये पर लेने के लिए मांगी जाने वाली निविदा के लिए शर्तें:–

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो, अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका सदस्य सचिव कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदा प्रपत्र, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर ''संविदा पर रखे जाने वाले कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की निविदा'' अंकित कर उसे सदस्य सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना, 4 संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक मण्डल कार्यालय में पहुँच जावे।
3. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 1000/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. निविदा (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में सदस्य सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स

चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी। निविदादाता चाहे तो अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।

7. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

8. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाएं प्रस्तुत कर सकती है, जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग अर्थात् दोनों विभागों में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा। ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई का पंजीयन भी नियमानुसार होना आवश्यक है।

9. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) किराये पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में छः माह की अवधि के लिए होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।

10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–

- **कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्याः–** लगभग 25
- **कर्मी की योग्यता :–**

  (i)कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। उसे विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट (Windows/Linux environment) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय सम्बंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर पर कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक हैं।

  (ii)**कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए।**

11. <u>**मशीनों का विवरण**</u>– निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी का होना आवश्यक है–

(A) **Computer**- Intel Core i3/ Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.

(B) **Printer**- Black and White laser printer with speed 15ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(C) **UPS**- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

C:\Users\Ashwani\Desktop\Man with machine Update Condition_01.2015.doc

12. निविदादाता एजेन्सी का सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक हैं।

13. निविदादाता एजेन्सी उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में 15 दिन पूर्व सूचना देकर बदलाव कर सकेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए कम्प्यूटर आपरेटर्स में कुल उपलब्ध कराये गए ऑपरेटर्स की संख्या के 20 प्रतिशत तक स्थायी बदलाव किया जा सकेगा। इससे अधिक स्थायी बदलाव करने से पूर्व मण्डल की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

14. यदि किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो उक्त अवधि में अन्य व्यवस्था करके निविदादाता को तुरन्त उसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।

15. सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आई.डी. कार्ड एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्यालय समय में सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को आई.डी. कार्ड साथ रखना आवश्यक होगा।

16. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

17. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ एवं मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. कार्यादेश जारी होने की तिथि के 5 दिनों के अन्दर–अन्दर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

18. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांकः F9 (1) FD-1 (1)Bud 2004 Dated: 28.07.2008 के अनुसार समय–समय पर सरकार द्वारा जारी आदशों के अनुरूप होगी (प्रति संलग्न)।

19. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

20. उपलब्ध करवाएं जाने वाले कर्मियों के लिए सफल निविदादाता ही नियोक्ता होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराएं गये कार्मिकों को राज्य मण्डल के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है, तो निविदादाता संस्था/एजेन्सी ही उसके लिए उत्तरदायी होगी तथा औद्योगिक विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर उपरोक्त दायित्वों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।

21. उक्त निविदा में भाग लेने वाली फर्म/एजेन्सी को इस क्षेत्र में (राजकीय/अर्द्ध राजकीय/राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के निविदा निरस्त योग्य होगी।

22. निविदादाता द्वारा ऑपरेटर के पारिश्रमिक से पी.एफ. की राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि भविष्य निधि संगठन में जमा कराना आवश्यक होगा। मासिक आधार पर निविदादाता को पी.एफ. जमा कराए जाने के साक्ष्य यथा चालान मय ई.सी.आर. की प्रति पिछले माह के बिल के साथ मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात् ही आगामी महिनों के बिल पारित किये जाना सम्भव हो सकेगा।

23. उपलब्ध करवाए गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में समस्त को हिन्दी/अंग्रजी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है एवं कम से कम 10 ऑपरेटर्स को हिन्दी (मंगल फोन्ट) का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए।

24. आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय का होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में मैन विद मशीन कार्यादेश देने के 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा।

25. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के अध्यक्ष/सदस्य सचिव को होगा।

26. निविदा के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपरोक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए राज्य मण्डल के अध्यक्ष मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

निविदा की शर्तें

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या 8/2008 क्रमांक : प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्यय/2004 दिनांक : 28.07.2008 के बिन्दु संख्या 3 के संदर्भ में

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

1. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
4. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौति की जावेगी।
6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।
9. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी0डी0 से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जाएगी।